अधिनियम

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष, 2005)

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राज्य विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

विधेयक

उत्तरांचल राज्य में आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन तथा निवारण करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना–

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन तथा निवारण अधिनियम, 2005** है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर हैं।

(3) यह तत्काल प्रवृत होगा।

परिभाषाएं:

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "आपदा" से ऐसी विपत्ति, संकट, दुर्घटना, गंभीर घटना जो प्राकृतिक हो या अन्यथा अभिप्रेत हैं, जिसके कारण मानव पीड़ा, अथवा मानव, जीव/जन्तु व वनस्पति जीवन का विनाश या सर्वनाश, सम्पत्ति की हानि व उसका नाश, पर्यावरण पतन होता हो जो विवेकपूर्ण व संरक्षक उपायों को दबा देता हो तथा व्यापक रूप से सरकार व समाज के सामान्य कार्य–कलापों को विच्छिन्न व अक्षम करता हो तथा अनुसूची में वर्णित घटनाओं में से कोई एक या अधिक घटना सम्मिलित हो'

(ख) "आपदा प्रभावित क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जहॉ अनुसूची के अधीन यथा परिभाषित कोई आपदा घटित हुई हो;

(ग) "प्राधिकरण" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) " आपदा प्रबंधन आयुक्त" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त अभिप्रेत हैं;

(ड.) "आपदा प्रबंधन" से निम्न दृष्टि से उपायों के कार्यान्वयन तथा योजना की समेकित और अनवरत प्रक्रिया अभिप्रेत हैं,

(1) आपदाओं की जोखिम का न्यूनीकरण अथवा उसे कम करना;

(2) आपदाओं की कठोरता या परिणामों का न्यूनीकरण;

(3) आपदा निवारण हेतु क्षमता–निर्माण;

(4) आपात तैयारी;

(5) आपदा के प्रभावों का आकलन;

(6) आपात राहत तथा बचाव प्रदान करना; और

(7) आपदा पश्चात् पुनर्वास तथा पुनः निर्माण।

(च) "आपात तैयारी" से तैयारी की वह स्थिति अभिप्रेत है जो स्टेकहोल्डर्स को सम्भावित या वास्तविक आपदा या किसी आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए सचल,संगठित और राहत प्रदान करने के लिए समर्थ बनाती है;

(छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से सुसंगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, जिला ंचायत, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(ज) "सदस्य" से, प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत हैं;

(झ) "न्यूनीकरण" से, आपदा के प्रभावों या आघात को कम करने के लिए लक्षित उपाय अभिप्रेत हैं;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(त) "निवारण" से वह उपाय अभिप्रेत हैं, जिनका उद्देश्य आपदा की घटना को टालना है;

(थ) "पुनर्निमाण" से आपदा के पश्चात् की गयी सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनः निर्माण अभिप्रेत हैं;

(द) "विनियमन" से ऐसा कोई क्रियाकलाप, जिसका उद्देश्य आपदा द्वारा उत्पन्न दशाओं को पुनः सामान्य दशा में लाना हो, अभिप्रेत है;

(ध) "राहत" से आपदा की घोषणा के दौरान या उसके ठीक पश्चात्, आपदा के कारण हुए कष्ट, पीड़ा, क्षति, यातना या कठिनाईयों को कम या समाप्त करना अभिप्रेत हैं;

(न) "आपदा प्रवृत्त क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहॉ आपदा की घटनाएं बार–बार हुई हों तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने की आशंका हो।

अध्याय – दो

आपदा प्रबंधन के लिए प्राधिकारी

3. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे; अर्थात –

(क) राज्य सरकार;
(ख) उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण;
(ग) राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष;

(घ) मण्डलायुक्त;
(ड) जनपदों के जिलाधीश;
(च) स्थानीय प्राधिकरण;
(छ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र।

अध्याय – तीन
राज्य सरकार के कृत्य

राज्य सरकार के कृत्य :

4. (1)राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3 में वर्णित सभी प्राधिकारी, और अभिकरण आपदा के प्रबन्ध तथा उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी उपाय करेंगे जो आवश्यक या समीचीन हैं।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में, निम्नलिखित सभी या कोई उपाय सम्मिलित होंगे, अर्थात –

(क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियॉ तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त विकसित किये जाए;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन तथा स्थानीय प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की योजना बनाते समय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार करें;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि एक व्यापक संचार व प्रौद्योगिकी तंत्र स्थापित किया जाए तथा बनाये रखा जाए;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाए तथा आपदा के प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे;

(च) आपदा के बेहतर प्रबन्धन, निवारण तथा न्यूनीकरण के लिए संस्था खोलने सहित शोध तथा विकास के क्षेत्र में उचित कदम उठाये जाये।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग, में आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण या आपदा के कारण उत्पन्न आसन्न नुकसान को टालने हेतु, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश दे सकती है तथा ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा;

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग में, इस अधिनियम के अधीन, किसी कार्यपालिक आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है, यदि ऐसा कार्यपालिक आदेश आपदा से निपटने की किसी आवश्यक कार्रवाई में निवारक, बाधक या विलम्बकारी है;

(5) राज्य सरकार के सभी विभाग, प्राधिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधीश अथवा स्थानीय प्राधिकरण को संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना का प्रारूप बनाने, क्षमता निर्माण, आंकड़ों का संग्रह तथा कार्मिकों को पहचान कर प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करेंगे।

अध्याय – चार
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन

5. (1) राज्य सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा निगमित नाम से वाद लायेगा या उस पर वाद लाया जायेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के अर्जन, धारण व व्ययन के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक संविदा तथा सभी कार्य करने के लिए सक्षम होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय उस स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए राज्य के भीतर या बाहर ऐसे स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है, जहॉ वह उचित समझे।

प्राधिकरण का गठन :

6. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिल कर बनेगा –

(क) राज्य का मुख्यमंत्री– पदेन अध्यक्ष;

(ख) राज्य का आपदा प्रबन्धन मंत्री– पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य सचिव– पदेन सदस्य;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव,आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन– पदेन सदस्य;

(ड.) शासन के गृह, चिकित्सा, वित्त, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों में से उत्तरांचल शासन द्वारा नामित तीन प्रमुख सचिव, पदेन सदस्य ;

(च) विभागाध्यक्ष, भूकम्प अभियांत्रिकी, भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, रूड़की –पदेन सदस्य।

(छ) निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून– पदेन सदस्य।

(ज) निदेशक, दूरसंवेदन संस्थान, देहरादून– पदेन सदस्य।

(झ) आपदा प्रबन्धन व नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य ;

(ण) मण्डल आयुक्त– पदेन सदस्य;

(त) अधिनियम के अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित आयुक्त आपदा प्रबंधन– सदस्य सचिव पदेन।

(ठ) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के एन.डी.एम. का प्रतिनिधि जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो – पदेन सदस्य; और

(ड) कार्यपालक निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून– पदेन सदस्य।

(ढ़) कमाण्डर, उत्तरांचल, सब एरिया, देहरादून– पदेन सदस्य।

(2) प्राधिकरण के सदस्य पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और विनियमों में जैसा विहित किया जाए, पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

प्राधिकरण की बैठकें–

7. (1) प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थानों पर बैठक करेगा तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन अपनी बैठकों में (गणपूर्ति सहित) अपने कारबार के संमव्यहार की बावत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) यदि बैठक के नियत समय पर अध्यक्ष उपस्थित है तो प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसके द्वारा की जायेगी और यदि अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जायेगी।

(3) प्राधिकरण की बैठक में सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित और मत डालने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

(4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या करार में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध है तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या उस समय अपनी सम्बद्धता या हित की प्रकृति प्रकट करेगा;

(ख) कोई सदस्य जो किसी संविदा या करार में सम्बद्ध या हितबद्ध है चाहे वह प्रत्यक्ष हो रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या किये जाने वाली किसी संविदा या करार में विचार के समय भाग नहीं लेगा या मत नहीं डालेगा;

परन्तु यह कि, किसी ऐसी संविदा या करार में सम्बद्ध किसी कम्पनी जिसकी कुल समादत्त अंश पूंजी के दो प्रतिशत से कम और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धारण किये हो, ऐसा अंशधारी होने के कारण किसी सदस्य को यथापूर्वाक्त सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

(8) प्राधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी :–

9. (1) राज्य सरकार आयुक्त, आपदा प्रबंधन को प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामित करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा सेवा के ऐसे निर्बधनों और शर्तो द्वारा शासित होंगे जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित किये जायें।

राज्य आपदा प्रबंधन आयुक्त

10. (1) राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा और अपर सचिव उत्तरांचल शासन के नीचे की पंक्ति का न होगा।

(2) उक्त आयुक्त, आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उस पर इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें।

(3) उक्त आयुक्त ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तो द्वारा शासित होगा, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय– पांच
प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य

11. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन की ऐसी समन्वित व समेकित प्रणाली की प्रोन्नति हेतु मूलतः उत्तरदायी होगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डर्स तथा समुदायों द्वारा आपदा का निवारण अथवा न्यूनीकरण भी सम्मिलित है।

(2) प्राधिकरणः

(क) आपदा प्रबंधन तथा आपदा पश्चात् पुनःनिर्माण, पुनर्वास, मूल्यॅाकन तथा निर्धारण के लिए केन्द्रीय आयोजक, समन्वयक तथा मोनिटरी निकाय के रूप में कार्य करेगा;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि आपात राहत का कार्यान्वयन राजस्व विभाग व सरकार के अन्य विभागों का उत्तरदायित्व है, आपात राहत से सम्बन्धित नीति की संरचना में सरकार की सहायता करेगा।

(ग) राज्य सरकार तथा उस सरकार के विभागों को आपदा प्रबंधन में हुई प्रगति की तथा समक्ष आयी समस्याओं की सूचना देगा।

(घ) आपदा प्रबंधन, आपात योजना व प्रतिक्रिया तथा उससे सम्बद्ध या आनुषांगिक मामलों पर सामान्य शिक्षा और जानकारी का सम्वर्धन करेगा;

(ड.) राज्य सरकार, जिलाधीश, राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारी तथा राज्य में स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निष्पादन में ऐसी सहायता तथा सहयोग प्रदान करेंगे जो उसके द्वारा अपेक्षित हो और उस आधारिक ज्ञान का सृजन और प्रसार की प्रलेखित सम्भावित परिसंकट और न्यूनीकरण पर जानकारी प्रदान करेगा जो सरकारी और प्राईवेट सेक्टर की निश्चय कर्ताओं तक पहुंच सकें;

(च) भवन सन्निर्माण संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण के रूप में कार्य करेगा;

(छ) वस्तुनिष्ठ चेतावनी प्रणाली का विकास तथा शरण क्षेत्रों की पहचान करेगा;

(ज) एक कुशल तथा अग्र सक्रिय खोज व बचाव तंत्र विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;

(झ) एक आपात चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;

(ण) जोखिम प्रबंधन हेतु एक समूह का निर्माण करेगा और उन्हे शिक्षित करेगा;

(त) मानकों का विकास व प्रख्यापन करेगा;

(थ) विकास निश्चिय कर्ताओं के लिए खुली प्रक्रिया का सृजन करेगा;

(द) सरकार के भीतर नीतिगत गठबंधन का सृजन, प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक परिसंकटों का विलयन और जोखिम प्रबंध;

(ध) न्यूनीकरण की गतिशीलता हेतु विनियमन व बीमे का उपयोग;

(न) आपात प्रबंधन का व्यवसायीकरण व मानकीकरण;

(प) विभिन्न क्षेत्रों में सफल संचार के माध्यम से विस्तृत समेकित सरकारी अनुक्रिया सुनिश्चित करेगा;

(फ) आपदा प्रबंधन केन्द्रित विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

समुचित प्राधिकारी को की जाने वाली संस्तुतियां :–

12. प्राधिकरण राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी भवन या ढ़ांचे के निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा तथा जहॉ प्राधिकरण की राय यह है कि ऐसे भवन या ढ़ांचे के पुनः निर्माण की गुणवत्ता ऐसी है कि यदि आपदा घटित हो तो परिणामस्वरूप जीवन हानि या सम्पत्ति का नुकसान हो सकता हो तो ऐसे परिणाम टालने के लिए संगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो आवश्यक हो, स्थानीय प्राधिकारी को संस्तुत कर सकता है।

अध्याय –छः

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियॉ तथा कृत्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियॉ तथा कृत्य

13. प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्न शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात –

(क) क्षमता निर्माण सहित, आपदा के निवारण व न्यूनीकरण से सम्बन्धित क्रिया कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;

(ख) पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण क्रिया–कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;

(ग) आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी व अद्यतन प्रगति को मानिटर करना व ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किये गये क्रिया कलापों पर नियत कालिक रिपोर्ट तैयार करना व प्राधिकरण को प्रस्तुत करना;

(ड) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी शक्तियॉ तथा कृत्यों को प्रत्यायोजित करना;

(च) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना जैसी प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जाये;

(छ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, और;

(ज) यह घोषणा करना कि राज्य या उसका कोई भाग आपदा प्रभावित क्षेत्र है।

अध्याय– सात

राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त की शक्तियॉं तथा कृत्य

आपात राहत

14. (1) उस अवधि के दौरान जिसमें किसी क्षेत्र को "आपदा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किया जाता है, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा स्थानीय प्राधिकारी को जिनकी प्रभावित क्षेत्र पर अधिकारिता है आपदा प्रंबधन योजनाओं तथा सीआरएफ/एनसीसीएफ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपात राहत प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है तथा जिलाधिकारी को सम्मिलित करते हुए नीचे के सभी स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें ऐसे निर्देश दिये जाते हैं, के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार कृत्य करें।

(2) आयुक्त–

(क) समुदाय को सहायता व संरक्षण प्रदान करने,

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने ,

(ग) विघटन के निवारण या उस का मुकाबला करने, या

(घ) आपदा के विनाशकारी या अन्य प्रभाव से निपटने के प्रयोजन के लिए,

(1) उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग हेतु व्यवस्था कर सकता है;

(2) प्रभावित क्षेत्र के भीतर, आने और जाने के लिए वाहन यातायात को नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;

(3) प्रभावित क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति के प्रवेश, गतिविधि तथा प्रस्थान पर नियंत्रण तथा निर्बन्धन लगा सकता है;

(4) मलबा हटा सकता है;

(5) तलाशी तथा बचाव कार्य संचालित कर सकता है;

(6) लावारिस शवों के निस्तारण की समुचित साधनों द्वारा व्यवस्था कर सकता है;

(7) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;

(8) भोजन, दवाइयॉं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है;

(9) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों की अपेक्षा कर सकता है;

(10) जब अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;

(11) किसी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार के साधन का ऐसी शर्तों व निबर्न्धनों पर जैसी कि विहित की जाये, कब्जा और उनका उपयोग कर सकता है;

(12) अस्थायी पुलों तथा अन्य आवश्यक ढांचों का सन्निर्माण कर सकता है;

(13) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढ़ांचों को ध्वस्त कर सकता है;

(14) यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन साम्यपूर्ण रीति से अपने कार्यकलाप करते हैं;

(15) आपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का प्रसारण कर सकता है;

(16) जीवन संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रभावित क्षेत्र से किसी आबादी का निष्क्रमण करवा सकता है, और ऐसे निष्क्रमण के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो; तथा

(17) किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही जीवन तथा सम्पत्ति के सरंक्षण के लिए आवश्यक है व स्वामी या निवासी अनुपस्थित है या उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध खोलने से इंकार करता है।

(3) आयुक्त, किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकता है जो आपदा को रोकने या आपदा के प्रभावों के प्रसार को रोकने या आपदा के प्रभाव को घटाने या कम या न्यून करने के लिए आवश्यक हो।

(4) आयुक्त, उसके द्वारा साधारणतः राहत प्रदान करने के लिए और विशिष्टतः उपधारा (1) से (3) के अधीन की गयी कार्यवाहियों से आयोग को अवगत करायेगा।

आयुक्त के अन्य कृत्य

15 (1) आयुक्त :

(क) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित बातों, जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायेगा;

(ख) राज्य के संसाधनों तथा संस्थागत क्षमता की दक्षता तथा प्रत्येक जनपद की अपने में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए समुचित राहत कार्यान्वयन नीति विकसित करेगा;

(ग) जनपद या मंडल स्तर की आपात योजनाएं तथा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा, पुनर्विलोकन करेगा और उन्हें अद्यतन रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं तैयार की जाय, पुनर्विलोकित की जाय और अद्यतन रखी जाये तथा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी महायोजना के अनुरूप हो।

(घ) आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित आकस्मिक योजनाओं का समय–समय पर पुनःनिर्धारण करेगा;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है तथा आकस्मिक योजनाओं में स्थानीय अभिकरणों की अधिकतम भागीदारी के लिए व्यवस्था है;

(छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जायें; और

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

अध्याय–आठ

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र

16. (1) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र प्राधिकरण के लिए एक चिन्तन समूह के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा के प्रत्येक चरण अर्थात आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा पश्चात् चरणों के लिए योजना तैयार करेगा, जिन्हें अन्ततः प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराचंल में ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार विनिश्चित करे। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र निम्न से मिलकर बनेगा–

(2) कार्यपालक निदेशक

(i) कार्यपालक निदेशक ऐसे संकाय सदस्य, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण से परामर्श के रखने का विनिश्चय करें।

(ii) कार्यपालक निदेशक

(क) आपदा प्रबंधन में वृत्तिक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से रखने का विनिश्चय करेगी;

(ख) कार्यपालक निदेशक आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जायेंगे;

(ग) कार्यपालक निदेशक ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के द्वारा शासित होगा जैसी कि विहित की जायें।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के कृत्य–

17. (1) आंकड़ो का संग्रह तथा शोध–

(क) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा तथा प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर आंकड़े संग्रह करने या संग्रह करवाने के लिए उचित कार्यवाही करेगा, ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करेगा तथा ऐसे शोध और अध्ययन करेगा व करवायेगा जिनका सम्बन्ध घटनाओं के भावी प्रभाव से हो, जिनके परिणामस्वरूप आपदा हो सकती है तथा यह भी कि इन आपदाओं का किस प्रकार निवारण, प्रबन्धन व न्यूनीकरण किया जाय;

(ख) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र किसी व्यक्ति से ऐसी अवधि के भीतर जैसी सूचना में विनिदिष्ट हो लिखित सूचना देकर ऐसी सूचना अपेक्षित करवा

सकता है जो कि उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के लिए उपयोगी हो।

2. **सूचना का भंडारक** :– आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदाओं तथा आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचनाओं के भंडारक के रूप में कार्य करेगा, तथा :–

(क) राज्य में संचार माध्यमों की स्थापना तथा आपात संचार व पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेगा;

(ख) आपदा प्रबंधन परिचालन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का सूचना–संग्रह (डाटा बेस) अनुरक्षित करेगा;

(ग) प्राधिकरण की भॉति ही कार्य कर रहे अन्य संस्थानों सहित भारत तथा अन्य देशों के आपदा प्रबंधन अभिकरणों के साथ संचार माध्यम स्थापित करना सुनिश्चित करेगा;

(घ) सूचना आदान–प्रदान तथा आपदा प्रबंधन पर अर्न्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

3. आपदा प्रबंधन योजनायें :–

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा महायोजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा या करवायेगा तथा उन्हें अदयतन रखेगा तथा सरकार के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों की सहायता करेगा जैसे कि योजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हों तथा उन्हें समन्वित करेगा;

(आ) उप धारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय योजना तैयार करने वाला अभिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये योजना में समुचित व्यवस्थायें करेगा, अर्थात्–

(क) उन आपदाओं का प्रकार जो कि घटित हो सकती हैं और उनके सम्भावित प्रभाव;

(ख) वे समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर खतरा हो;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों हेतु उपबन्ध;

(घ) आपदा से निबटने में अक्षमता तथा क्षमता निर्माण को बढावा;

(ड.) आपदा निवारण के लिये युक्तियों का एकीकरण तथा राज्य में विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों द्वारा इसके प्रभावों का न्यूनीकरण;

(च) प्रकृति के आंकलन हेतु उपबंध तथा आपदा के प्रभावों की विशालता;

(छ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय;

(इ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र राज्य के लिये एकमहायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा;

(4) **जागरूकता तथा तैयारीः–**

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र जागरूकता तथा तैयारी को बढावा देगा या दिलवायेगा तथा सम्भावित आपदा से निपटने के लिये समुदाय तथा

स्टेकहोल्डर्स की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स को निम्नविषयों पर सलाह देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगाः

(क) इस निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा संस्तुतियों के प्रकाशन द्वारा,

(ख) अपने इलैक्ट्रोनिक सूचना सामग्री आधार तक सुगम पहुँच द्वारा;

(ग) आपदा प्रबन्धन क्षमता निर्माण के उत्थान तथा समुदाय व अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा;

(घ) आपदाओं की भेद्यता में कमी के लिये कार्यविधि विकसित करने में सहायता द्वारा;

(ड) विकास योजनाओं,कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों द्वारा जागरूकता व तैयारी के लिये कार्यविधियों के एकीकरण में समन्वय द्वारा; तथा

(च) इस निमित्त जैसा उचित समझे वैसे किसी अन्य तरीके से कार्य द्वारा।

(आ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र जैसा वह आवश्यक समझे, आपदा की तैयारी के लिये बीमे सहित, खतरा स्थानान्तरित करने के यंत्र जाल से सम्बन्धित वैसी नीतियॉ बनायेगा तथा उन्हें क्रियान्वित करेगा या करवायेगा।

अध्याय–नौ

मण्डल आयुक्त और जिलाधिकरी की शक्तियॉ तथा कृत्यः

18. मण्डल आयुक्त की शक्तियॉ तथा कृत्यः

(1) मण्डल आयुक्त अपने मण्डल में आपदा प्रबन्धन के विषय में स्थानीय निकायों और अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं मार्गदर्शन का कार्य करेगा और ऐसी साधारण एवं विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जायें।

(2) जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं के सक्रिय होने पर, मण्डलायुक्तः–

(क) मण्डल के भीतर विभिन्न जनपदों से संसाधनों की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगें;

(ख) मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव(आपदा प्रबन्धन), आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र/आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क में रहेगा।

19. जिलाधिकारी की शक्तियां तथा कृत्यः–

(1) जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जिलाधिकारी उस प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारी को, आपदा प्रबन्धन आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता है।

(2) जिलाधिकारीः

(क) उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के लिये इन्तजाम करेगा;

(ख) आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;

(ग) किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहॉ से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्वन्धित कर सकता है;

(घ) मलबा हटा सकता है;

(ड) तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता है;

(च) समुचित साधनों द्वारा लावारिस शवों के निस्तारण के लिये व्यवस्था कर सकता है;

(छ) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;

(ज) भोजन, दवाईयॉ तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा सकता है;

(झ) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिये आपदा से सुंसंगत विषय के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता है;

(ञ) जैसी विहित हो वैसी शर्तो तथा निबन्धनों पर किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तथा संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग कर सकता है;

(ट) जब व जैसे अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;

(ठ) अस्थायी पुलों तथा ढॉचों का निर्माण करा सकता है;

(ड) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढॉचों को ध्वस्त कर सकता है;

(ढ) गैर सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक तरीके से निष्पादित करै;

(ण) आपदा से निपटने के लिये जनता में सूचना का प्रसार करेगा;

(त) जीवन सरंक्षण के उद्देश्य के लिये किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से समस्त आबादी या उसके किसी भाग को निष्क्रमण के लिये निर्देश दे सकता है, बाध्य कर सकता है तथा ऐसे निष्क्रमण के लिये उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग कर सकेगा;

(थ) किसी सम्पत्ति या जीवन के संरक्षण के लिये यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश, करने, किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, यदि स्वामी या निवासी अनुपस्थित है या उपस्थित होते हुये भी द्वार, फाटक या अवरोध का खोलने से इन्कार करता है,।

(3) जिलाधिकारी उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग उसी सीमा तक करेगा जितना निम्न प्रयोजनों के लिये आवश्यक होः–

(क) समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिये ;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने के लिये ;

(ग) विघटन के निवारण या उसका मुकाबला करने के लिये;

(घ) आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से निपटने के लिये।

(4) जिलाधिकारी, किसी भी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता है जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के प्रभावों को कम करने, रोकने या न्यून करने के लिये आवश्यक हों।

जिलाधिकारी की अन्य शक्तियॉ और कृत्यः–

20.(1) जिलाधिकारी–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कार्रवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी, जैसा विहित किया जाये, मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप की जा रही है;

(ख) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से, सम्बन्धित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से निपटने की जानकारी, जनपद में कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जिला आपदा प्रबन्धन योजनायें तैयार हो, पुनरीक्षित हो तथा अद्यतन हो;

(ड) स्थानीय सरकारी निकायों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिये सुगमता तथा समन्वय रखेगा जिससे कि जनपद में आपदा पूर्व तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाये जाते हैं,

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम को सुकर बनायेगा;

(छ) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित मामलों पर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगा;

(ज) आपात योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन करेगा;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण युक्तियॉ विकसित करने में लगे हैं;

(ञ) आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा योजना के मध्य सम्बद्धता सुनिश्चित करेगा;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है;

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित अन्य उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहे कि उपयोग के लिये तैयार रहे।

(ड) जनपद में पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के कार्यकलापों को समन्वित करेगा;

(ढ) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;

(ण) पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के लिये प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणाम को मानीटर करने में प्राधिकरण को सहायता करेगा;

(प) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय;

(फ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विहित किये जाये।

अध्याय–दस
स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

स्थानीय प्राधिकारी के कृत्यः–

21. (1) राज्य या उसके किसी भाग के एक बार आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाने पर, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निर्देशों के अधीन जो प्राधिकरण दे और राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन–

(क) प्राधिकरण, राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी को सहायता देगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित है;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी संसाधन इस तरह अनुरक्षित है कि प्रयोग के लिये तैयार हो;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के विभाग तथा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अधिकथित विनिर्देशों का स्थानीय क्षेत्र की सभी इमारतों तथा अन्य ढॉचों में पालन किया जाता है;

(ड.) राज्य आयुक्त के निर्देशों के अध्यधीन प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य किया जाता है;

(च) प्राधिकरण द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पुनर्वास तथा पुनःनिर्माण किया जाता है;

(छ) राज्य के संगठनों तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन को समन्वित करेगा;

(ज) नियतकालिक आपदा प्रबन्धन कवायदें करेगा; और

(झ) प्राधिकरण, आयुक्त तथा जिलाधिकारी को ऐसी सहायता देगा तथा ऐसे कदम उठायेगा जो आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक हों।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तथा उसमें किसी संशोधन की एक प्रति प्राधिकरण तथा आयुक्त के पास प्रस्तुत करेगा।

जनपदों के लिये आपदा प्रबन्धन योजनायेंः–

22. (1) जिलाधिकारी,, स्थानीय प्राधिकारी की सहायता से जनपद हेतु एक आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय जिलाधिकारीः

(क) उस आपदा के प्रकार का अनुमान लगायेगा, जो जनपद में घट सकती है तथा उसके सम्भावित प्रभाव;

(ख) समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर जोखिम है ,उनकी पहचान करेगा;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों के लिये उपबन्ध करेगा;

(घ) संभावित खतरों से निपटने में असमर्थता की पहचान तथा क्षमता निर्माण का सम्बर्द्धन करेगा;

(ड.) अधिकतम आपात तैयारी को सुगम बनायेगा;

(च) आपदा की दशा में आकस्मिक योजनाओं तथा विहित आपात प्रकिया, निम्नलिखित व्यवस्था करने हेतु रखेगाः–

(1) विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को उत्तरदायित्वों का आबंटन तथा उनके उत्तरदायित्वों को निभानें में समन्वय;

(2) तत्काल आपदा अनुक्रिया तथा राहत;

(3) आवश्यक वस्तुओं की उपाप्ति तथा अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था;

(4) सामरिक संचार सम्पर्को की स्थापना;

(5) सूचना का प्रसार; और

(6) ऐसे अन्य मामले जो विनियमों में उपबन्धित हो, तथा उसके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।

(3) जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके जनपद की आपदा प्रबन्धन योजना इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से 90 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय और राजपत्र में अधिसूचित कर दी जाय परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि यदि जिलाधिकारी इसमें विस्तारण के लिये अनुरोध किया है तो समुचित विस्तारण दिया जाय, किन्तु किसी भी स्थिति में यह विस्तार छः माह से अधिक का न हो।

अध्याय–ग्यारह

क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में धोषणा

क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में धोषणाः–

23. (1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारियों, जैसी भी स्थिति हो, की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी क्षेत्र को आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। इस प्रकार की गयी धोषणा प्राधिकरण के अनुमोदन के लिये ऐसी घोषणा के एक सप्ताह के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के सम्मुख रखी जायेगी।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा(1) के अधीन जारी अधिसूचना में पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी अवधि विर्निदिष्ट होगी जिस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आपदाग्रस्त क्षेत्र बना रहेगा।

परन्तु राज्य सरकार समय –समय पर इस अवधि को एक बार में पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि तक बढा सकती है, यदि यथास्थिति, राज्य आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा उस निमित्त दी गयी रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन होगा।

(3) जिस अवधि में कोई क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र बना रहेगा, उसमें–

(क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्न से सम्बन्धित कृत्य निष्पादित करेगा या करवायेगा,

(1) आपदा का निवारण, या

(2) आपदा के प्रभावों का न्यूनीकरण;

(ख) आपात राहत को सुगम बनाना, समन्वित करना तथा नियंत्रण करना;

(ग) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास का समन्वय तथा मॉनीटरी, तथा ऐसे अन्य कृत्य जैसे कि अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाये या पूर्वोक्त कृत्यों के अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक हो;

(4) जहॉ प्रभावित क्षेत्र एक या अधिक जनपदों में फैला हो वहॉ सरकार तथा जहॉ यह एक जनपद तक सीमित हो वहॉ जिलाधिकारी आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे जाय,

(5) (क) जहॉ आयुक्त या जिलाधिकारी उपधारा(1) के अधीन रिपोर्ट देता है, वहॉ रिपोर्ट देने के साथ ही वह इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उसको सौंपें गये कृत्यों का निष्पादन तत्काल प्रारम्भ कर देगा।

(ख) वह कार्यो का निष्पादन नहीं करेगा जहॉः

(1) ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहॉ एक क्षेत्र धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन, विर्निदिष्ट अवधि के लिये प्रभावित क्षेत्र घोषितकिया गया हो, या

(2) पिछली बढाई गयी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहॉ ऐसी अवधि उक्त उपधारा (2)के परन्तुक के अधीन समय–समय पर ऐसी अवधि बढायी गयी है।

(3) जहॉ कोई क्षेत्र इस प्रकार धोषित नहीं हुआ है वहॉ उपधारा(5) के खण्ड(क)के अधीन राज्य सरकार से उस आशय की सूचना की प्राप्ति पर।

(6) प्राधिकरण, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा सभी अन्य अभिकरण उपधारा (5) के खण्ड(ख) के उपखण्ड(1)या (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पूर्वोक्त क्षेत्र में अपने कृत्यों का निष्पादन नहीं करेगें।

अध्याय–बारह
वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिर्पोट

प्राधिकरण की निधिः–

24. (1) प्राधिकरण की अपनी एक निधि होगी जो आपदा प्रबन्धन निधि कहलायेगी तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियॉ इसमें जमा की जायेगी तथा प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उसमें से किये जायेगें।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, से अनुदान, आर्थिक सहायता, संदान तथा उपहार स्वीकार कर सकता है।

(3) निधि में से निम्न के भुगतान हेतु धन का उपयोग किया जा सकता हैः

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्च;

(2) सदस्यों को पारिश्रमिक;

(3) प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तें;

(4) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनो के लिये व्यय, जो विहित किया जाय;

(4) (क) प्राधिकरण की निधि का सम्पूर्ण धन ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा जिसे साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार निर्देश दें;

(ख) जहॉ इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निधि की राशि तुरन्त या किसी शीध्र तिथि पर उपयोग हेतु अपेक्षित नही है इसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क),(ख)(ख,ख),(ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में निवेश किया जा सकता है;

(ग) ऐसे जमा तथा निवेशों पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जायेगा ।

धन का उधार लेनाः–

25. प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये खुले बाजार से या अन्यथा धन उधार ले सकता है।

बजटः

26.(1) (क) प्राधिकरण, ऐसी तिथि तक जो प्रत्येक वर्ष में विहित की जाये,आगामी वित्तीय वर्ष के लिये विहित प्रारूप में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियॉ और व्यय तथा उस राशि को जो राज्य सरकार से अपेक्षित होनी है दर्शाते हुये एक बजट राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त राशि पूर्णतया या आंशिक रूप से अव्ययित रहती है तो अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष में

अग्रनीत किया जायेगा तथा उस वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के अवधारण में उसे हिसाब में लिया जायेगा।

(2) कोई राशि प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से तब तक व्यय नही की जायेगी, जब तक कि वह व्यय, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्राविधानों के अन्तर्गत न आता हो।

लेखा एवं संपरीक्षा

27. (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार व अनुरक्षित किये जायेगे जैसे कि विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करवायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(3) प्राधिकरण के लेखे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेगे।

(4) उक्त संपरीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण के लेखे संपरीक्षित करने हेतु नियुक्त प्रत्येक संपरीक्षक को लेखा बहियों, सम्बन्धित बाउचर्स, अन्य दस्तावेज व प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की मॉग करने का, प्राधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने का तथा प्राधिकरण से ऐसी सूचना, जैसी वह अपने संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु आवश्यक समझे, अपेक्षा करने का अधिकार होगा।

(6) संपरीक्षक, लेखों की संपरीक्षित प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीध्र उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) राज्य सरकार उपधारा(6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशीध्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

28. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय के भीतर जैसे कि विहित किये जोयें निम्न लिखित तैयार करेगाः–

(क) पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का एक सम्पूर्ण, सत्य एवं उचित लेखा जोखा देते हुये एक वार्षिक रिपोर्ट; और

(ख) अगले वर्ष में प्राधिकरण द्वारा सम्भावित रूप से किये जाने वाले कार्यो का कार्यक्रम; तथा ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीध्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।

अध्याय–तेरह
अपराध एवं शास्तियॉ

अपराध एवं शास्तियॉ

29. (1) जो कोई:–

(क) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन से रोकता है या बाधा डालता है, या

(ख) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने से इंकार करता हैं;

(ग) बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के होने की मिथ्या भविष्यवाणी करता है तथा उसके द्वारा समुदाय में दहशत उत्पन्न करता है; या

(घ) राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी से पुनःनिर्माण या मरम्मत के लिये सहायता हेतु मिथ्या दावा करता है, दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

30. कोई मजिस्ट्रेट धारा –29 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय तब के जबकि आयुक्त या जिलाधिकारी या इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गयी हो।

कम्पनियों द्वारा अपराध

31. (1) जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहॉ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय, उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जायेगी और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिये भागी होगी;

परन्तु, इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहॉ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहॉ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य

अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय–चौदह
प्रकीर्ण

प्रवेश की शक्ति

32. (1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकते है तथा वहां ऐसे कोई कार्य कर सकते है जो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गये कार्यों के विधिपूर्वक निष्पादन के प्रयोजनों के लिये उचित रूप से आवश्यक हों।

(2) इस निमित्त सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है तथा वहां ऐसे कोई कार्य कर सकता है जो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गये कृत्यों के विधिपूर्वक किये जाने के प्रयोजन के लिये उचित रूप से आवश्यक हों।

कृत्यों का प्रत्यायोजनः–

33. (1) प्राधिकरण लिखित, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे कृत्यों को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिलाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) प्राधिकरण, लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसके सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एकाधिक समितियों का गठन कर सकता है तथा ऐसी समिति को प्राधिकरण के ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा व उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य, मुख्य विकास अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(5) उपधारा (1), (3) या (4) के अधीन आदेश में वे शर्तों विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी जिनके अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन किया जाना है।

निर्देश जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉं :–

34. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में नीतियों के प्रश्नों पर, प्राधिकरण ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जैसे समय–समय पर राज्य सरकार लिखित में दे।

परन्तु, इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने के पहले प्राधिकरण को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति :–

35. (1) प्राधिकरण, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये तथा लिखित में अभिलिखित कारणों से, प्रभावित क्षेत्र जिसमे कि आपात राहत कार्य किये जा रहे हों, के भीतर, किसी व्यक्ति को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने या उससे प्रविरत रहने का आदेश जारी कर सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति, ऐसा आदेश प्राप्त होने पर उसका अनुपालन करेगा।

सदस्य तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना :–

36. प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी, इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में कार्य करते हुए या करने से तात्पर्यित होते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाहियों का संरक्षण :–

37. इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या

अधिकारी या कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ नहीं लायी जायेंगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–

38 पूरा (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात हो ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिये नियम बना सकती है।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य 30 दिन के भीतर राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जायेंगे तथा वह राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदन या ऐसे उपान्तरण के अधीन रहते हुये होंगे जो उस सत्र की अवधि के दौरान, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है या इसके ठीक बाद में सत्र में किये जाएं।

(4) राज्य विधान सभा द्वारा इस प्रकार किया गया अनुमोदन या उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा तदुपरि प्रभावी होगा।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :–

39. (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में समर्थ होने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हों ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिये विनियम बना सकता है।

व्यावृत्तियॉ :–

40. प्राधिकरण, इसके अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा जिलाधिकारी, राज्य के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में आपदा के पश्चात् पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए उपाय समन्वित तथा नियंत्रित करने तथा आपदा राहत नियंत्रित तथा सुगम करने, समन्वित करने, आपदा के प्रभावों के न्यूनीकरण, आपदा की पुनरावृत्ति निवारण हेतु राज्य के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित कृत्यों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण, में इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

————————XXX————————

अनुसूची
आपदाओं की सूची

1–जल और जलवायु सम्बन्धी आपदायें

(क) बाढ़ और जलनिकास प्रबन्ध
(ख) चक्रवात
(ग) तूफान/ हवा एवं हरीकेन
(घ) बादलों का फटना
(ड.) भू–स्खलन
(च) बिजली का गिरना
(छ) गर्म और ठण्डी लहरें
(ज) सूखा
(झ) बर्फीले तूफान (एबलांच)
(ट) ओलावृष्टि

2– भूगर्भ सम्बन्धी आपदायें

(क) भूकम्प
(ख) बॉध टूटना
(ग) खान में आग लगना

3–रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें

(क) रासायनिक, औद्योगिक और न्यूकलीय आपदायें
(ख) दावाग्नि

4–दुर्घटना सम्बन्धी आपदायें

(क) सड़क/रेल दुर्घटना
(ख) भवन का ढहना
(ग) विद्युत सम्बन्धी दुर्घटना
(घ) शहर/गॉव में आग लगना
(ड.) त्यौहारों से जुड़ी आपदायें
(च) बम विस्फोट
(छ) यांत्रिकी खराबी (मेकेनिकल फेल्योर)

5–जैविकीय आपदायें

(क) मानव और पशु महामारी
(ख) भोजन विषाक्तता

----------0000----------